जन्म पंजीकरण में आशा की भूमिका

- आशा भ्रमण के दौरान उन बच्चों का चिन्हांकन करेगी जिन बच्चों का जन्म पंजीकरण अभी तक नहीं हो सका है।
- अधिसूचक के रूप में फार्म सं0–1 भरेगी तथा स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) को उपलब्ध करायेंगी। यह फार्म सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की वेबसाइट **www.crsorgi.gov.in** पर टैब के तहत उपलब्ध है।
- शहरी क्षेत्रों में आशा उक्त फार्म की प्रति स्थानीय रजिस्ट्रार को उपलब्ध करायेगी।
- यदि बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है और जिनका जन्म पंजीकरण अभी तक नहीं हुआ है, ऐसे बच्चों की सूची तैयार कर अस्पताल को उपलब्ध करायेगी तथा जन्म प्रमाण पत्र एकत्रित करते हुए बच्चे के माता–पिता या परिवार के सदस्य को उपलब्ध करायेगी।
- आरबीडी अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म प्रमाण–पत्र की पहली प्रति निःशुल्क जारी की जाती है।
- जन्म प्रमाण पत्र बच्चे के नाम के बिना भी प्राप्त किया जा सकता है और सम्बन्धित पंजीकरण अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से 12 माह के भीतर बिना किसी शुल्क के बच्चे का नाम दर्ज करवाया जा सकता है।

नागरिक पंजीयन प्रणाली (सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम–सीआरएस) पोर्टल पर जन्म पंजीकरण

- जन्म पंजीकरण सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की वेबसाइट **www.crsorgi.gov.in** (सीआरएस पोर्टल) का उपयोग करते हुए पूरा किया जा सकता है।
- प्रत्येक रजिस्ट्रार को जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए इस पोर्टल के उपयोग हेतु लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्रदान किया जाता है। यदि लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध न हो तो लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त करने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय के जन्म–मृत्यु साख्यिकी प्रभाग (वाइटल स्टेटिक्स डिवीजन) ईमेल (jdvitallkoup@gmail.com), दूरभाषः 0522 –2201742 से सम्पर्क किया जा सकता है।
- रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया एवं नीति आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार किये गये जन्म–मृत्यु पंजीकरण से सम्बन्धित ऑकड़ों का उपयोग किया जाता है।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ

- जुड़वा या अधिक बच्चों के जन्म की स्थिति में प्रत्येक बच्चे के पंजीकरण के लिये अलग–अलग प्रक्रिया क्रियान्वित की जायेगी।
- बच्चे के नाम का उल्लेख किये बिना भी पंजीकरण किया जा सकता है, एक वर्ष की अवधि के भीतर नाम का अंकन निःशुल्क कराया जा सकता है, एक वर्ष की अवधि से 15 वर्ष की अवधि तक पाँच रूपये का शुल्क जमाकर नाम का अंकन कराया जा सकता है।
- प्रमाण–पत्र खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की स्थिति में रजिस्ट्रार के कार्यालय से दूसरी प्रति निर्धारित शुल्क प्रदान कर प्राप्त की जा सकती है।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें–
मुख्य रजिस्ट्रार, (जन्म–मृत्यु), महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
ईमेलः email id: jdvitallkoup@gmail.com, दूरभाषः 0522–2201742

जन्म प्रमाणपत्र

बच्चे का पहला अधिकार

उत्तर प्रदेश सरकार

जन्म पंजीकरण तन्त्र

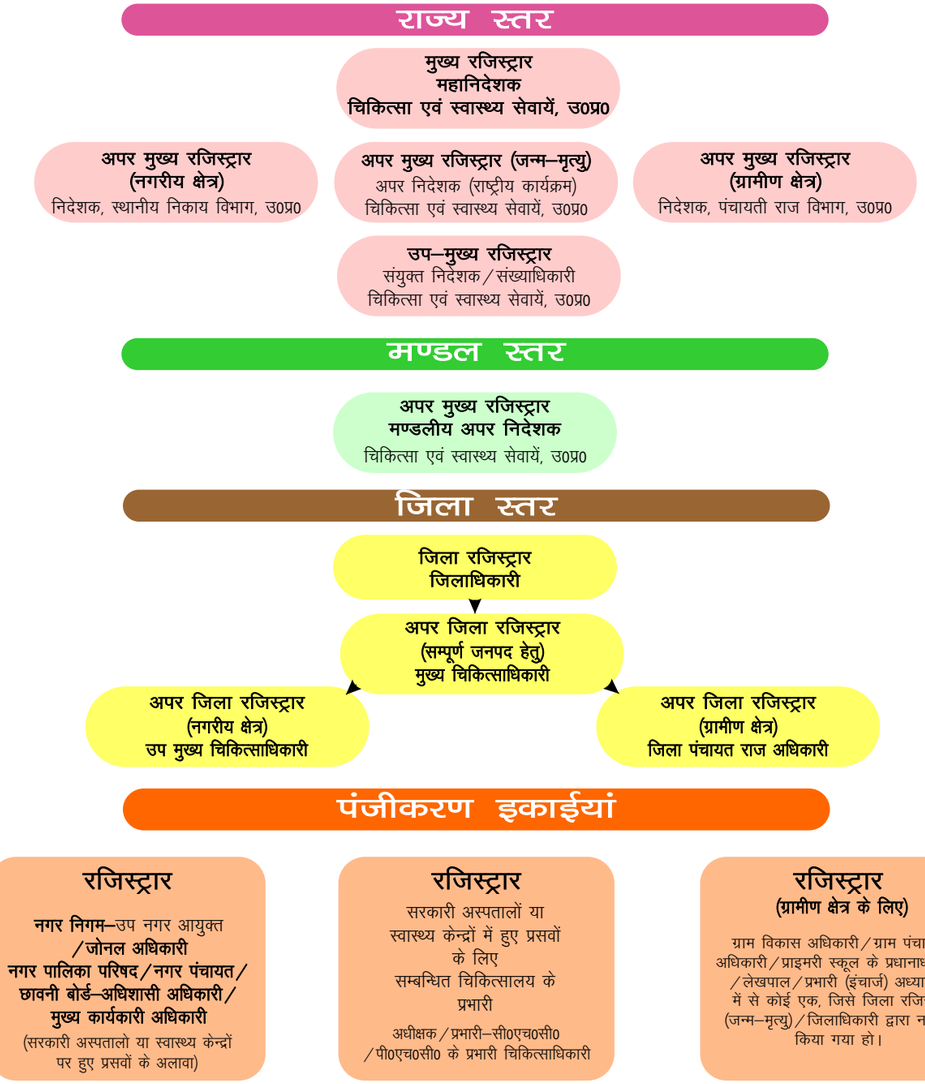

पंजीकरण इकाईयां

रजिस्ट्रार

नगर निगम–उप नगर आयुक्त /जोनल अधिकारी
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/ छावनी बोर्ड–अधिशासी अधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(सरकारी अस्पतालो या स्वास्थ्य केन्द्रों पर हुए प्रसवों के अलावा)

रजिस्ट्रार

सरकारी अस्पतालों या स्वास्थ्य केन्द्रों में हुए प्रसवों के लिए
सम्बन्धित चिकित्सालय के प्रभारी
अधीक्षक/प्रभारी–सी0एच0सी0 /पी0एच0सी0 के प्रभारी चिकित्साधिकारी

रजिस्ट्रार
(ग्रामीण क्षेत्र के लिए)

ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी/प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यानक /लेखपाल/प्रभारी (इंचार्ज) अध्यापक, में से कोई एक, जिसे जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)/जिलाधिकारी द्वारा नामित किया गया हो।

जन्म पंजीकरण

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (आरबीडी एक्ट), 1969 के अन्तर्गत प्रदेश में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे का पंजीकरण कानूनन अनिवार्य है। यह आप और हमारे संयुक्त प्रयास से सम्भव है। जन्म पंजीकरण से छोटी से छोटी प्रशासनिक इकाई में भी जनसंख्या के ऑकड़े नियमित रूप से प्राप्त हो सकते हैं। शत–प्रतिशत पंजीकरण भावी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं अन्य योजनाओं को बनाने का मुख्य आधार हैं। आगे आयें और जन्म पंजीकरण में सहयोग करें–

जरूरी क्यों ?

जन्म पंजीकरण हर बच्चे का अधिकार है, इससे बच्चे की पहचान स्थापित होती है, यह स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि का लाभ पाने में बच्चे के लिये मददगार साबित हो सकता है।

'जीवन और पहचान दो, मेरे ये अधिकार दो,
शिक्षा, नौकरी और अधिकार, जन्म प्रमाण–पत्र सबका आधार
शिशु के जन्म पर मंगल गाओ, जन्म पंजीकरण तुरन्त कराओ''

जन्म पंजीकरण के लाभ

रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण–पत्र जन्म तिथि का विधिक प्रमाणन है व निम्न उद्देश्यों के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है:–

1. स्कूल में प्रवेश हेतु।
2. राशनकार्ड में शिशु का नाम बढ़ाने हेतु
3. बीमा पॉलिसी हेतु
4. ड्राइविंग लाईसेन्स हेतु
5. पासपोर्ट बनवाने हेतु
6. सरकारी एवं गैर–सरकारी सेवाओं में प्रवेश हेतु
7. मतदान का अधिकार एवं चुनाव उम्मीदवारी हेतु
8. स्वंय विवाह का अधिकार प्राप्त करने हेतु
9. बाल विवाह एवं बच्चे के अनैतिक व्यापार के विवादों को निपटाने हेतु।
10. अन्य उद्देश्य जहां आयु प्रमाणन की आवश्यकता है।

जन्म पंजीकरण कहाँ ? किसके द्वारा ?

- जिस स्थान पर बच्चे का जन्म हुआ है उसी स्थान/क्षेत्र के स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) के कार्यालय में बच्चे का जन्म पंजीकरण कराया जा सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्र–ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी/प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यानक/ लेखपाल/प्रभारी (इंचार्ज) अध्यापक, अधीक्षक/प्रभारी–सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 के प्रभारी चिकित्साधिकारी।
- नगर निगम–उप नगर आयुक्त/जोनल अधिकारी।
- नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत एवं छावनी बोर्ड–अधिशासी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अधिसूचक (नोटिफायर) किन्हें नामित किया गया है ?

- जन्म पंजीकरण के सम्बन्ध में अधिसूचक (नोटिफायर) वह व्यक्ति होता है जो बच्चे के जन्म से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रपत्र में रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराता है। इस हेतु निम्न लोगों को अधिसूचक (नोटिफायर) के रूप में नामित किया गया है।
  1. ए0एन0एम0
  2. आशा
  3. आंगनबाड़ी कार्यकत्री
  4. सफाई कर्मचारी

जन्म पंजीकरण की प्रक्रिया तथा शुल्क–

- जन्म का पंजीकरण 21 दिन के अन्दर कराकर निःशुल्क प्रमाण–पत्र प्राप्त करें।
- जन्म के 21 दिन से 30 दिन के भीतर पंजीकरण करवाने पर रू0 2/– का विलम्ब शुल्क देय होगा।
- जन्म के 30 दिन से एक वर्ष के भीतर पंजीकरण करवाने पर शपथ पत्र तथा रू0 5/– के विलम्ब शुल्क पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला पंचायती राज अधिकारी, नगरीय क्षेत्र के लिये उप–मुख्य चिकित्सा अधिकारी की लिखित अनुज्ञा पर प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
- एक वर्ष की अवधि के पश्चात् पंजीकरण कराये जाने पर रू0 10/– का विलम्ब शुल्क, शपथ पत्र तथा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (एस0डी0एम0 अथवा सिटी मजिस्ट्रेट) की लिखित अनुज्ञा पर प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।